न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
मु० नं० 03/51/26 तारीख प्रवेश 9/2/26
उन्वान .... बनाम ....
तारीख फैसला/तारीख आगामी 16/2/26

1

रीडर
check and
Report
9/2/26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय राजगढ़ (अलवर)

03
51
9-2-2026

1. गिर्राज प्रसाद जैमन पुत्र मदन लाल जैमन जाति ब्राहमणव निवासी ग्राम घेवर तहसील टहला जिला अलवर 9783873121

2. दिनेश चन्द जैमन पुत्र मदन लाल जैमन जाति ब्राहमणव निवासी ग्राम घेवर तहसील टहला जिला अलवर

3. मुकेश कुमार जैमन पुत्र मदन लाल जैमन जाति ब्राहमणव निवासी ग्राम घेवर तहसील टहला जिला अलवर

4. मन्जू देवी पुत्री पुत्र मदन लाल जैमन पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राहमणव निवासी ग्राम घेवर तहसील टहला जिला अलवर हाल निवासी टहला जिला अलवर

बनाम

1. तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय टहला जिला अलवर

----- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,111 एंव 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत आराजी खसरा नम्बर 24/0.010 गै.मु.चाह , 25/2.95 हैक्टर चाहीं सोयम 31/0.80 बारानी सोयम वाके रूपबास पटवार हल्का लोसल तहसील टहला जिला अलवर पैमाईश कराई जाकर पत्थरगढी कराये जाने के कम में ।

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
राजस्व सहायक (आर. ए.)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ जिला अलवर

श्रीमान,

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निम्न प्रकार निवेदन है :-

गिरिराज जैमन

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)

1. यह है कि खसरा नम्बर 24/0.010 गै.मु.चाह , 25/2.95 हैक्टर चाहीं सोयम , 31/0.80 बारानी सोयम वाके रूपबास पटवार हल्का लोसल तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण की कब्जा काश्त खातेदारी की पैत्रिक आराजी है जिस पर प्रार्थीगण बुजुर्गान के समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । ताईद में हाल जमाबन्दी सलंग्न है ।

2. यह है कि प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को अपनी उपरोकत आराजी को काश्त करने में परेशानीयों का सामना करना पडता है इसलिऐ प्रार्थीगण उक्त आराजी की पैमाईश करवाकर पत्थरगढी कराना चाहते है ।

3. यह है कि अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार साहब टहला जिला अलवर भूमिधारी है जिनका यह दायित्व है कि वो अपने क्षेत्र की आराजी के मौका व रिकार्ड की स्थिति को दुरूस्त रखे जिसके लिये प्रार्थी ने अप्रार्थी तहसीलदार साहब टहला जिला अलवर के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया है लेकिन अप्रार्थी तहसीलदार साहब टहला जिला अलवर प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी पैमाईश कर पत्थरगढी नहीं करा रहे है इसमिलऐ प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है ।

4. यह है कि प्रार्थीगण ग्राम घेवर तहसील टहला जिला अलवर के रहने वाले है तथा प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी ग्राम लोसल तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान जी के सुनने योग्य है ।

5. यह है कि प्रार्थना पत्र पर कोर्टफीस 2/—रूपये व तलबाना फीस नियमानुसार चस्पा है ।

6. अतः प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 24/0.010 गै.मु.चाह , 25/2.95 हैक्टर चाहीं सोयम

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
राजस्व सहायक (आर.ए.)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ जिला अलवर

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)

गिरिराज

31/0.80 बारानी सोयम वाके रूपबारा पटवार हल्का लोसल तहसील टहला जिला अलवर की पैमाईश कराई जाकर पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे । ताईद में शपथ पत्र पेश है ।

प्रार्थीगण

गिर्राज जैमन

1. गिर्राज प्रसाद जैमन पुत्र मदन लाल जैमन जाति ब्राहमणव निवासी ग्राम घेवर तहसील टहला जिला अलवर
2. दिनेश चन्द जैमन पुत्र मदन लाल जैमन जाति ब्राहमणव निवासी ग्राम घेवर तहसील टहला जिला अलवर
3. मुकेश कुमार जैमन पुत्र मदन लाल जैमन जाति ब्राहमणव निवासी ग्राम घेवर तहसील टहला जिला अलवर
4. मन्जू देवी पुत्री पुत्र मदन लाल जैमन पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राहमणव निवासी ग्राम घेवर तहसील टहला जिला अलवर हाल निवासी टहला जिला अलवर

गिर्राज जैमन

सत्यापन

हम प्रार्थीगा ग्राम घेवर तहसील टहला जिला अलवर राजस्थान आज अहाते अदालत में सत्यापित करते है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नम्बर 1 ला0 5 व प्रार्थना का पैरा नम्बर 6 हमारे जाति इल्म वो यकीन से तथा कानूनी राय के अनुसार सत्य और सही है जो आज अहाते अदालत हाजा में तस्दीक किया गया ।

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
राजस्व सहायक (आर. ए.)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ जिला अलवर

गिर्राज जैमन

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)

सेवामें,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय राजगढ़ (अलवर)

1. गिर्राज प्रसाद जैमन पुत्र मदन लाल जैमन जाति ब्राहमणव निवासी ग्राम घेवर तहसील टहला जिला अलवर
2. दिनेश चन्द जैमन पुत्र मदन लाल जैमन जाति ब्राहमणव निवासी ग्राम घेवर तहसील टहला जिला अलवर
3. मुकेश कुमार जैमन पुत्र मदन लाल जैमन जाति ब्राहमणव निवासी ग्राम घेवर तहसील टहला जिला अलवर
4. मन्जू देवी पुत्री पुत्र मदन लाल जैमन पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राहमणव निवासी ग्राम घेवर तहसील टहला जिला अलवर हाल निवासी टहला जिला अलवर

बनाम

1. तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय टहला जिला अलवर

——— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,111 एंव 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

शपथ पत्र

मैं गिर्राज प्रसाद, जैमन पुत्र मदन लाल जैमन जाति ब्राहमण आयु करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम घेवर तहसील टहला जिला अलवर का हूँ ।

1.मैं शपथ पूर्वक कथन करती हूँ कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 1 लगायत 5 व प्रार्थना का पैरा नम्बर 6 मेंरे जाति इल्म वो यकीन से सहीं है इसमें कोई भी तथ्य असत्य दर्ज नहीं कराये है नाहीं सत्य को छिपाया है ईश्वर साक्षी है ।

गिर्राज जैमन

शपथ ग्रहींता

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि शपथ पत्र का पैरा नम्बर 1 लगायत मेंरे जाति इल्म वो यकीन से सहीं है जो आज अहाते अदालत हाजामें तस्दीक किया गया ।

गिर्राज जैमन

शपथ ग्रहींता

दिनांक 09.02.2026

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
राजस्व सहायक (आर. ए.)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ जिला अलवर

गिर्राज जैमन

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर राजगढ जिला–अलवर

धारा–128
(चैकलिस्ट)

आज दिनांक 9/2/26 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 प्रस्तुत कर्ता श्री.. द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट निम्न प्रकार है–

क्र. स.	विवरण	हॉ/नही	विशेष विवरण
1.	क्या प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है ?	हा	
2.	क्या प्रार्थना पत्र पर्याप्त मुद्रांक पर है ?	हा	
3.	क्या उचित संख्या में तलवाना नोटिस मय वाद पत्र प्रति मय कोर्ट फीस के पेश किये है ?	हा	
4.	क्या प्रार्थना पत्र के प्रत्येक पेज पर प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी है ?	हा	
5.	क्या प्रार्थना पत्र में सीमाओं को लेकर जिन पक्षकारों से विवाद है उनको पक्षकार बनाया गया है?	नही	
6.	क्या प्रार्थना पत्र में पक्षकारों का सम्पूर्ण नाम, वल्दियत, पूर्ण पता पिनकोड सही रूप में अंकित किया गया है ?	हा	
7.	क्या प्रार्थना पत्र के साथ हाल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है ?	हा	
8.	क्या प्रार्थना पत्र के साथ सीमाज्ञान रिपोर्ट (जिसमें सीमाओं को लेकर विवाद है) संलग्न है?	नही	
9.	क्या प्रकरण राजस्व न्यायालय में दर्ज किया जाना उचित है ?	हा	

9/2/26
राजस्व अहलमद
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ

श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय

दिनांक 9/2/26

आज यह प्रार्थना पत्र धारा 128 वकील प्रार्थी द्वारा पेश अप्रार्थी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब हो एवं तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होकर दिनांक 16/02/26 को पेश हों। दर्ज हों।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

16/02/26 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप./ [illegible] रिपोर्ट प्राप्त जो शा. मि. है। बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। बाद गौर प्रा. पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जो शा. मि. है। पत्रावली नम्बर से कम होकर जमा लेख अगार हो।

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
राजस्व सहायक (आर. ए.)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ जिला अलवर

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर राजगढ जिला–अलवर

क्रमांक/कोर्ट/आर.ए./धारा–128/2026/58

दिनांक:–09/02/2026

तहसीलदार टहला
जिला अलवर

अनुवान:– गिर्राज प्रसाद बनाम सरकार
खसरा नम्बर – प्रा0 में अंकित पटवार हल्का–लोसल

मुकदमा नम्बर 03/41/2026
पेशी तारीख–..16../02/2026

111/128 सीमाज्ञान/ पत्थरगढी रिपोर्ट हेतु निर्देश

1. मुस्तकिल बिंदु *(चाह, चौमेडा, तिमेडा, रास्ता या अन्य)* तय कर और उन्हें नामांकित *[हिन्दी या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर व संख्या यथा A, B,C,D1,2 आदि]* कर एवं तद्नुसार नक्शा ट्रेस तैयार करना।

2. मुस्तकिल बिंदु से आवेदित भूमि/ खसरा की सीमाये (खेत के मामले मे चारों कोने तथा रास्ते के मामाले मे सीमा) तय करना और सीमांकित बिंदु को नामांकित *[हिन्दी या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर व संख्या यथा A, B,C,D 1,2 आदि]* करना एवं तद्नुसार नक्शा ट्रेस तैयार करना।

3. विवादित /पैमाईश विषयान्र्तगत भूमि पर निर्माण कार्य, भवन, वृक्ष, बोरवेल, कुंआ, आदि अन्य चल–अचल समपत्ति का नक्शा ट्रेस मे अंकन करते हुए मौका रिपोर्ट तैयार करना।

4. मुस्तकिल बिंदु से सीमांकित बिंदु की जरीब/मीटर दूरी मे मौका रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस मे अंकित करना।

5. बाद पैमाईश/सीमांकन विवादित आराजी खसरा पर अतिक्रमण चिन्हित करना और नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से स्पष्टया अंकन/नामांकित कर नियमानुसार पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करें।
6. नक्शा ट्रेस व मौका रिपोर्ट मे सीमांकन दिशासूचक अंकन करते हूए मय कार्बन कापी तैयार कराना।
7. यथासंभव सम्बन्धित पक्षकारों को सुचित कर उनकी उपस्थिति मे ही पैमाईश/सीमाज्ञान किया जावे व उपस्थिति के हस्ताक्षर भी मौके पर कराये जावे।

संलग्न:– प्रार्थना पत्र प्रति।

(सुश्री सीमा मीणा आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
प्रजिस्ध सहायक (आर. ए.)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ जिला अलवर

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)

पता:– मिनी सचिवालय परिसर राजगढ
कार्यालय दूरभाष न0 01464-220094
E-mail - sdmraj.alw@gmail.com

कार्यालय तहसीलदार (भू. अ.) टहला (अलवर)

क्रमांक/भू. अ./2026/318

दिनांक:- 12/02/26

श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महो.
राजगढ़ (अलवर).

विषय:- श्रीमान न्यायालय के अनुवानी प्रकरण धारा 111-128 भू.रा. 03/51/2026 अनुवान गिर्राजप्रसाद बनाम सरकार पार्के श्याम रूपराम.. प.म. लौरहट. भू.अ.नि. क्षेत्र टहला की रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

प्रसंग:- आदेश क्रमांक/कोर्ट/रीडर/2026/58 दिनांक:- 09/02/26

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत वर्णित रिपोर्ट पटवारी/भू. अ. निरीक्षक द्वारा तैयार कर प्रस्तुत की गयी है जो पत्र के साथ संलग्न कर श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उक्त रिपोर्ट

तहसीलदार (भू० अ०)
टहला (अलवर)

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
सहायक (आर. ए.)
उपखण्ड अधिकारी
जिला अलवर

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)

सेवामें,
श्रीमान तहसीलदार महोदय
तहसील - टहला

विषय :- धारा 111/128 सीमाज्ञान / पत्थरगढ़ी रिपोर्ट बाबत।

प्रसंग :- श्रीमान का पत्र क्रमांक/रा.भू./2026/316 दि. 12/02/26

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम रूपवास के आराजी खसरा संख्या 24, 25, 31 किता-3 रकबा 3.76 उनवान गिर्राज प्रसाद बनाम सरकार प्र.क्र. 03/11/2026 में धारा 111/128 की बिन्दुवार रिपोर्ट निम्न प्रकार है।

1. ग्राम रूपवास के आराजी खसरा संख्या 24, 25, 31 किता-3 रकबा 3.76 हे. मुर्ल गिर्राज दिनेश मुकेश पि. मदनलाल, मंजू पुत्री मदनलाल जाति ब्राह्मण नि. थेवर खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

2. ग्राम रूपवास के आराजी खसरा संख्या 24, 25, 31 किता-3 रकबा 3.76 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के वाद संख्या 02/169/2023 उनवान गिर्राज बनाम शिवराज व श्रीमान तहसीलदार साहब टहला के आदेश क्रमांक/रा.भू./2024/948-950 दिनांक 18/03/2024 की पालना में उपरोक्त विवादित आराजी पर पार्टी के कब्जे कास्त एवं उपयोग उपभोग में दखल अंदाजी न करने का स्थगन नोट दर्ज हुआ है।

3. ग्राम रूपवास के आराजी खसरा संख्या 25 में सरसों व गेहूं तथा आराजी खसरा संख्या 31 में सरसों कि फसल खड़ी है।

4. ग्राम रूपवास के आराजी खसरा संख्या 25 रकबा 2.75 हे. में से लगभग 0.10 हे. भूमि पर शिवराज सुभाष वगैरा का आवासीय मकान व बाड़ा बने हुए है।

अतः श्रीमान जी को रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

18.02.26

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
राजस्व सहायक (आर. ए.)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ जिला अलवर

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)

|| सत्यमेव जयते ||

अभिभाषक मण्डल राजगढ़ (अलवर)

अभिभाषण - पत्र

A
0957983

क्रमांक 3655

न्यायालय श्रीमान न्यायालय उपखंड अधिकारी महोदय, राजगढ़

गिरिराज जैमन वगैरह वादी / अपीलान्ट / अभियोगी

बनाम

तहसीलदार महोदय, टहला प्रतिवादी / रेस्पाण्डेन्ट / अभियुक्त

दावा / अपील / अभियोग धारा 111, 128

अतः मैं / हम गिरिराज प्रसाद जैमन, दिनेश चंद जैमन, मुकेश जैमन, मंजू देवी पुत्रान मदन लाल जैमन निवासी घेवर, तह. टहला, अलवर

अपनी ओर से श्री संदीप कुमार जैमन (Advocate).

एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट को तयशुदा रु. पारिश्रमिक शुल्क पर अपना अभिभाषक नियुक्त कर प्रतिज्ञा करता हूँ / करते है कि उक्त अभिभाषक मेरी / हमारी और से वाद, उत्तर अपील आवेदन पत्र, पुनरावलोकन, पुनः विचार, पुनः स्थापना, संशोधन, ईजराय – पत्र, राजीनामा, मौखिक पक्ष पंच फैसला, दावा, जवाबदावा, दरख्वास पेश करें, वापिस ले, हमारी और से हस्ताक्षर करके तथा प्रमाणीकरण करके शपथ पत्र, साक्षी – पत्र साक्षी करण का तलबाना व अन्य अदालत की कार्यवाही करें और उक्त की आवश्यकता पर हमारी और से दूसरा वकील नियुक्त करें। हमारी और से पैसा वसूल करें या जमा करायें अर्थात कुल कार्यवाही जो भी अदालत में करे वह उसी तरह से मान्य होगी जैसे हमने स्वयं ने की हो इनके अलावा जो भी मुनासिब कार्यवाही उक्त वकील साहब अपने हस्ताक्षरों से करें वह भी हमें उसी प्रकार मान्य होगी पारिश्रमिक शुल्क सिर्फ उपरोक्त मुकदमें की पैरवी के लिए है। यदि कही दूसरी अदालत में उक्त वाद मुन्तकिल हुआ या अपील करानी होगी तो शुल्क पृथक होगा। बाहर जाने का व्यय व अन्य खर्च अलग से तय होगा। दूसरी पार्टी से वसूल किया खर्चा वकील साहब का होगा। हमारी और से जो खर्चा होगा वह हमको देना होगा। यदि मुकदमा अदम पैरवी में खारिज हो जायेगा तो वकील साहब की जिम्मेदारी नहीं होगी। मुकदमे में दरख्वास्त या अलग से प्रार्थना पत्र शुल्क पृथक होगा शुल्क कुल अदा कर दूँगा। अगर अदा नहीं करूँगा तो वकील साहब को अधिकार होगा की जमा शुदा रुपये में से अपना शुल्क पहले लें। नोटिस देने का अधिकार भी अभिभाषक महोदय को देता हूँ / देते हैं। पक्षकारान द्वारा जो भी मुतफरिक प्रार्थना – पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे उनकी पैरवी के लिए अलग से मेहनताना देय होगा। हड़ताल या किन्हीं कारणो से अदालत में अनुपस्थित होने के कारण हर्जा लगने पर कोई मुआवजा प्राप्त करने का मैं अधिकारी नहीं होऊँगा। अतः अभिभाषण – पत्र सुन समझकर लिख दिया व हस्ताक्षर कि, ताकि प्रमाण रहें और समय पर काम आवें।

स्थान:– घेवर

तारीख:–

पैरवी स्वीकार है।

[signature]

हस्ताक्षर पक्षकार

गिरिराज जैमन

दिनेश

मंजू

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
राजस्व सहायक (आर. ए.)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ जिला अलवर

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)

10/12 राजा प्रधान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
......03/41/26 तारीख प्रवेश 11.2.26
उन्वान .... उत्तम ......
तारीख फैसला/तारीख आगामी ...16/2/26

गिर्राज बनाम सरकार
मुकदमा संख्या–03 / 41 / 2026

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला अलवर
(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आरएएस)

प्रार्थना संख्या :–03 / 41 / 2026 आनलाईन नम्बर–202602 / 116600017 प्रवेश तिथि–09.02.2026

1. गिर्राज प्रसाद जैमन पुत्र मदन लाल जैमन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम घेवर तहसील टहला जिला अलवर।
2. दिनेश चन्द जैमन पुत्र मदन लाल जैमन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम घेवर तहसील टहला जिला अलवर।
3. मुकेश कुमार जैमन पुत्र मदन लाल जैमन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम घेवर तहसील टहला जिला अलवर।
4. मन्जू देवी पुत्री मदन लाल जैमन पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम घेवर तहसील टहला जिला अलवर हाल निवासी टहला जिला अलवर।

.............प्रार्थीगण

बनाम्

1. तहसीलदार महोदय टहला तहसील टहला जिला अलवर। ....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128
राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थितः– श्री संदीप जैमन एड0–प्रार्थी

–:निर्णयः– दिनांक 16 / 02 / 2026

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेंश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 24 / 0.01, 25 / 2.95, 31 / 0.80 वाके ग्राम रूपवास तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण काविज होकर काश्त करता चला आ रहा है। यह है कि आराजी का मौके पर सीमांकन नही होने के कारण अपनी आराजी की पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है। तहसीलदार टहला के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये लेकिन अप्रार्थी तहसीलदार टहला ने प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी की पैमाईश कर पत्थरगढी नही करा रहे है। इसलिए प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश करना आवश्यक हो गया। अतः में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर उक्त अराजी के पैमाईश करवाकर पत्थरगढी तहसीलदार टहला के माध्यम कराये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। हाजा न्यायालय के आदेश क्रमांक / कोर्ट / आर.ए. / धारा–128 / 2026 / 58 दिनांक 09.02.2026 के माध्यम से तहसीलदार टहला से रिपोर्ट तलव कि गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार टहला के पत्रांक क्रमांक / भू.अ. / 2026 / 318 दिनांक 12.02.2026 रिपोर्ट प्रेषित की गई जो शामिल मिशल है।

3. वहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। दौरान–ए–वहस प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की पत्थरगढी के आदेश जारी करने का निवेदन किया तथा पुष्टि में जमावंदी सम्वत् 2070 से 2075 खाता संख्या 40 वाके ग्राम रूपवास तहसील टहला जिला अलवर की नकल पेंश की।

फोटो स्टेट सत्य प्रतिलिपि
सहायक (आर. ए.)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

फोटो स्टेट सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)

गिर्राज बनाम सरकार
मुकदमा संख्या–03/41/2026

4. बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2076 खाता संख्या 40 वाके ग्राम रूपबास तहसील टहला जिला अलवर के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न तहसीलदार टहला की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2026 से भी यह तथ्य प्रार्थी साबित है

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार है :–

> **Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries** (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.
>
> (2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.
>
> **Sec. 128. Boundary disputes.-** All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

इसलिये प्रार्थी को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में आराजी खाता संख्या 40 आराजी खसरा संख्या 24/0.01, 25/2.95, 31/0.80 वाके ग्राम रूपबास तहसील टहला जिला अलवर को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार टहला को आदेश जारी किये जाते है कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थी के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी की पुनः पैमाईश कर धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें। तहसीलदार टहला को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 16/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
सहायक (आर. ए.)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ जिला अलवर

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
नं. 2/41/26 तारीख प्रवेश 2/2/26
उन्वान ... बनाम ...
तारीख फैसला/तारीख आगामी 16/2/26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला–अलवर

क्रमांक / कोर्ट / आर.ए. / 2026 / 135 दिनांकः– 16 / 03 / 2026

तहसीलदार राजगढ
जिला–अलवर

विषयः–हाजा न्यायालय के अनुवानी प्रकरण गिर्राज प्रसाद बनाम सरकार मुकदमा संख्या 03 / 41 / 2026 में निर्णय की पालना बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत के सम्बंध में लेख है कि हाजा न्यायालय में उक्त अनुवानी प्रकरण विचारधीन था। जिसका निर्णय हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 16 / 02 / 2026 को कर दिया गया है। आपको निणर्य की प्रति संलग्न कर प्रेषित कि जा रही है।

अतः उक्त प्रकरणों में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नही हो तो न्यायालय निर्णय के अनुसार कार्ययाही की जाकर निर्णय की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपर्युक्तानुसार

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिलाः–अलवर

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
राजस्व सहायक (आर. ए.)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ जिला अलवर

पताः– मिनी सचिवालय परिसर राजगढ जिला–अलवर
कार्यालय दूरभाष नं0 01464–220094
E-mail - sdmraj.alw@gmail.com

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)